

प्रत्येक कार्यालय/कार्यस्थल में लगाये जाने वाले बोर्ड का प्रारूप

कार्यालय का नाम

महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीडन (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013 में कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीडन की परिभाषा निम्नानुसार है:-

1. शारीरिक संपर्क और अग्रक्रियाएं करना; या
2. लैंगिक स्वीकृति के लिए कोई मांग या अनुरोध करना; या
3. लैंगिक आभास वाली टिप्पणियां करना ; या
4. अश्लील साहित्य दिखाना; या
5. लैंगिक प्रकृति का कोई अन्य निंदनीय शारीरिक, शाब्दिक या गैर-शाब्दिक आचरण करना, यदि कोई व्यक्ति आपके साथ उपरोक्त में से किसी प्रकार का अपमानजनक आचरण करता है तो आपके कार्यालय में ही निराकरण के लिये आन्तरिक समिति गठित की गई है जो निम्नानुसार है:-

क्र	नाम	पद	मोबाइल नम्बर
1.		पीठासीन अधिकारी	
2.		सदस्य	
3.		सदस्य	
4.		अशासकीय सदस्य	

आप निर्भीकता से इस समिति के समक्ष अथवा **shebox.nic.in** पर अपनी शिकायत प्रस्तुत कर सकते हैं। शिकायत समिति इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि प्रत्यार्थी के विरुद्ध अभिकथन साबित हो गये हैं, तो समिति संबंधित के विरुद्ध सेवा नियमों के अन्तर्गत कार्यवाह करने की अनुशंसा कर सकती है। आपकी शिकायत पूर्णतः गोपनीय रहेगी।

कार्यालय /संस्था प्रमुख
नाम एवं पदनाम